प्रेषक,

कमलेश कुमार
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 28 सितम्बर, 2026

विषय:- आदर्श कारागार लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी छोटेलाल पुत्र श्री चतुरी, निवासी जनपद-सीतापुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-10410/प्रो0अनु0(2)-314/2026 (बैठक दिनांक 09.03.2026), दिनांक 20.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी छोटेलाल पुत्र श्री चतुरी, बेलहरी, थाना-संदना, जनपद-सीतापुर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 21.07.2010 की रात्रि को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अनैतिक संबंधों को लेकर वादी मुकदमा की माँ व बहन की हत्या करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1182/2010 में धारा-302, 452 आई०पी०सी० में मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-08, सीतापुर के आदेश दिनांक 11.09.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है। बंदी द्वारा दिनांक 10.10.2025 तक अपरिहार 15 वर्ष, 03 दिन तथा 18 वर्ष, 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 10.10.2025 तक लगभग 47 वर्ष है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अभिमत दिनांक 26.09.2025 में अंकन किया गया है कि समयपूर्व रिहाई करने का निर्णय गुण दोष के आधार पर लिया जाता है, तो न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक दिनांक 21.07.2010 की रात्रि को अभियुक्त द्वारा 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अनैतिक संबंधों को लेकर वादी मुकदमा की माँ व बहन की हत्या करने का अपराध कारित किया गया। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गई। मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-473 (दण्ड प्रक्रिया

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संहिता, 1973 की धारा 432) सपठित जेल मैनुअल 2022 के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी छोटेलाल पुत्र चतुरी की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं गयी।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी छोटेलाल (बन्दी सं0-17243) पुत्र श्री चतुरी, निवासी जनपद-सीतापुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1245/2026/578(1)/22-2-2026 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- अधीक्षक, आदर्श कारागार लखनऊ।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।